पत्रांक–म०भो० / को०–47 / 2012 428 /

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 04/4/12

विषयः IVRS (दोपहर) के सफल संचालन हेतु राज्य के सभी प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत हैं कि राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के प्रतिदिन अनुश्रवण (Daily Monitoring) हेतु वास्तविक समय (Real time) में मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित आँकड़ा प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु अप्रैल 2012 से IVRS (दोपहर) लागू किया जाना है। इस प्रणाली के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त समय–समय पर विद्यालय से संबंधित अन्य आँकड़े भी प्राप्त किया जाएगा। उक्त प्रणाली में मध्याह्न भोजन सत्र के बाद प्रतिदिन मोबाइल फोन के माध्यम से प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित सूचना तथा आँकड़ों को सम्प्रेषित किया जाना है।

2. इस हेतु दिनांक 09.04.2012 से दिनांक 17.04.2012 तक IVRS (दोपहर) के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा इसके माध्यम से सूचना तथा आँकड़ों के सम्प्रेषण के तरीके की जानकारी देने हेतु प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 40 दल का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में तीन सदस्य होगें जो प्रखंड अन्तर्गत सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों / प्रभारी प्रधानाध्यापकों को IVRS (दोपहर) में मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना तथा आँकड़ों को प्रविष्ट करने के तरीके के संबंध में प्रशिक्षित करेंगे।

3. प्रशिक्षण प्रतिदिन दो सत्रों (Session) यथा पूर्वाह्न में 10.00 बजे से 1.00 बजे तक तथा अपराह्न में द्वितीय सत्र 2.00 बजे 5.00 बजे तक आयोजित किया जाना है। अतः प्रत्येक प्रशिक्षण दल को प्रतिदिन दो पाली में दो प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न करना है।

4. जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को निर्धारित प्रशिक्षण तिथि (संलग्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार) के पूर्व संध्या पर प्रशिक्षण दल उपलब्ध करा दिया जाएगा।

5. (i) प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर दिया जाना है। अतः प्रशिक्षण स्थल पर बिजली, कुर्सी, टेबल, जल तथा प्रशिक्षण हेतु अन्य आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करने का उत्तरदायित्व जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन की होगी।

(ii) प्रशिक्षण दल के लिए आवसन की व्यवस्था तथा जिला के विभिन्न प्रशिक्षण केन्दों तक जाने–आने के लिए एवं जिला में प्रशिक्षण कार्य समाप्त करने के उपरान्त प्रशिक्षण दल को अन्य जिला में भेजने हेतु वाहन की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व भी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना की होगी।

6. प्रशिक्षण व्यय हेतु सभी जिला को प्रति प्रशिक्षण दल 5000/–रू० की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

7. सुलभता के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियो तथा IVRS (दोपहर) सेवा प्रदाता (Service Provider) का मोबाइल संख्या दिया जा रहा है जिनसे प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है :

(i) श्री अजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, म०भो०यो०– 9431266101

(ii) श्री रामानन्द पोद्दार, क० अनु० पदा०, म०भो०यो०– 9431049576

(iii) श्री हेमन्त पुरोहित (IVRS Service Provider)– 09310191818

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना से अनुरोध है कि मिशन मोड में कार्य करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाने में अपेक्षित सहयोग करें।

अनुलग्नकः यथोक्त।

(राहुल सिंह)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।